

अमर उजाला

हाथरस : अवैध शराब की फैक्टरी का भंडाफोड़, चार आरोपी गिरफ्तार



अलीगढ़ ब्यूरो

Updated Mon, 31 Jan 2022 12:09 AM IST



हाथरस : सादाबाद पुलिस की गिरफ्तार में नकली शराब के साथ पकड़ा गया अभियुक्त। संवाद - फोटो : SADABAD

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सादाबाद (हाथरस)।

थाना सादाबाद पुलिस व आबकारी विभाग संयुक्त टीम ने शनिवार को मथुरा सीमा पर चेकिंग के दौरान शराब की तस्करी के आरोपी को किया है। उसके कब्जे से 315 कार्टर अवैध शराब (8 ट्रेट्टा पैक व नगीना ब्रांड) व तस्करी में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर हाथरस और मथुरा पुलिस की संयुक्त टीम ने कोतवाली नगर मथुरा क्षेत्र में संचालित शराब की अवैध फैक्टरी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने यहां से भी तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

इनके कब्जे से 690 लीटर नकली देसी व अंग्रेजी शराब, 77 कार्टर व दो हाफ नकली देसी व अंग्रेजी शराब, 1963 खाली ट्रेट्टा पैक, 2091 ढक्कन विभिन्न ब्रांड, 965 रैपर विभिन्न ब्रांड, 299 कैप विभिन्न ब्रांड, 154 खाली कार्टर व 90 खाली हाफ विभिन्न ब्रांड, क्यूआर कोड, 25 पानी के पैकेट, 10 किग्रा यूरिया व 02 छोटी-बड़ी पैकिंग मशीन आटोमेटिक आदि शराब बनाने के अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 29 जनवरी को पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार जिले में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन प्रहार' के अंतर्गत सादाबाद पुलिस व आबकारी विभाग की टीम की संयुक्त कार्रवाई में सादाबाद में मथुरा सीमा पर बने बूथ के पास चेकिंग के दौरान शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। संवाद

ये अभियुक्त किए गए हैं गिरफ्तार

1. भूरा उर्फ सौरव पुत्र गोवर्धनदास निवासी जटोई थाना सादाबाद जनपद हाथरस ।
2. गोवर्धनदास उर्फ गुड्डू पुत्र गिराज किशोर निवासी नीरज राणा का मकान विकास नगर गोविंद नगर मथुरा जनपद मथुरा।
3. विक्रम यादव पुत्र बाबू सिंह निवासी थरौरा थाना सहपऊ जनपद हाथरस ।
4. उमाशंकर पुत्र महावीर प्रसाद निवासी तारानगर थाना तारानगर जिला चूरू राजस्थान।

आलू के व्यापार में घाटा होने पर शुरू किया शराब का धंधा

गिरफ्तार अभियुक्त भूरा उर्फ सौरव ने पूछताद में बताया कि उसका आलू का व्यवसाय था। इसमें उसको काफी नुकसान हुआ था। पैसों की खातिर उसने अपने पिता व अन्य साथियों के साथ मिलकर नकली शराब बनाने व बेचने का काम शुरू किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि जनपद मथुरा के कोतवाली नगर मथुरा क्षेत्र में वह नकली शराब बनाने का काम करते हैं। अभियुक्त भूरा उर्फ सौरव व उसका पिता गोवर्धनदास व अन्य दो साथियों के साथ मिलकर नकली शराब बनाते हैं और उसको आसपास के क्षेत्रों में बेचते हैं।

स्पिरिट का प्रयोग कर बनाई जाती थी नकली शराब

नकली शराब की फैक्टरी में स्पिरिट का प्रयोग करके नकली शराब बनाई जाती थी और नकली रैपर व बार कोड लगाकर पैकिंग कर उसको आसपास के जनपदों में बेच देते थे। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना थाना कोतवाली नगर मथुरा पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अभियुक्त भूरा उर्फ सौरव पर थाना फरह में भी धारा 420/272 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है।

Source: <https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/hathras/hathras-illegal-liquor-factory-busted-four-accused-arrested-sadabad-news-ali284150054>